न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/2013

बलराजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मलकीयतसिंह पिसर मुतबन्ना गुरबचनसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
3. सुरजीतकौर पत्नी महेन्द्रसिंह
4. गुरजन्टसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
5. गुरमेलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह

जाति रामगढियासिख निवासीगण कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

6. दर्शनकौर पत्नी साधूसिंह पुत्री महेन्द्रसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी ई–2 कुन्ज विहार श्रीगंगानगर ।
7. गुरमेलकौर उर्फ रणजीतकौर उर्फ रानी पत्नी मेजरसिंह पुत्री महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नम्बर 30 रूपनगर हनुमानगढ टाउन जिला हनमानगढ़ ।

———रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 22.07.2013

उपस्थितिः–

श्री कुलवंतसिंह संधू, अभिभाषक अपीलांट

श्री मदनलाल सिडाना अभिभाषक रेस्पो.1

श्री दयाराम छिम्पा अभिभाषक रेस्पो. 3 से 7

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 31.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी महेन्द्रसिंह ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 183 के तहत पेश कर कथन किया कि लालसिंह ने चक 4 ए बड़ा की अपने खातेदारी भूमि मु.न. 47/43 के कि.न. 2 से 9 की 8 बीघा जरिये बैयनामा दिनांक 25.11.59 को बैय कर दी थी । प्रतिवादी ने बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम बतौर खातेदार करवा लिया जबकि उसको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी उक्त विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी का नाम जमाबंदी में डिलीट किया जावें

प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । वाद एवं जबाव दावा के आधार पर पहले अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये गये । तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर क से घ तक वाद बिन्दु कायम किये गये । सुनवाई करने के पश्चात सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने दिनांक 22.07.2013 को वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विवादित भूमि अपीलांट के पिता ने जरिये बैयनामा 25.11.1959 को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया था एवं कब्जा प्राप्त कर लिया था । अपीलांट का पिता स्वयं काश्त करने में असमर्थ होने से विवादित भूमि गुरबचनसिंह को हिस्से ठेके पर देता रहा । जब कब्जा मांगा तो रेस्पो.1 ने कहा कि यह भूमि उसके पिता गुरबचनसिंह के नाम थी अब उसके नाम से है इसलिए हिस्सा ठेका नहीं देगे । जिस पर वादी ने अधी. न्यायालय में वाद पेश किया जिसे वादी ने अपनी साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित किया था फिर भी अधी.न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अतः

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि गुरबचनसिंह द्वारा कोई बैयनामा नहीं करया गया बैयनामा फर्जी है बैयनामा के आधार पर वादी द्वारा इन्तकाल दर्ज नहीं कराया गया ।अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों का जांच के पश्चात प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 22.07.2013 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट महेन्द्रसिंह के वारिसान होकर महेन्द्रसिंह द्वारा विवादित भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 ए बड़ा के मु.न. 47/43 कि.न. 2 से 9 कुल 8 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा लालसिंह पुत्र पहाड़सिंह से क्रय की थी के आधार पर घोषणात्मक दावा अधी.न्यायालय द्वारा खारिज किया है जो तनकियात का गलत विनिश्चय कर दावा गलत ढ़ग से खारिज किया है के निर्णय को निरस्त कर अपीलांट को उनके पूर्वज महेन्द्रसिंह की खरीदशुदा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। दावे एवं जबाव दावे के आधार पर अधी.न्यायालय द्वारा तीन तनकियात निर्णित की गई थीं।

1. आया कि महेन्द्रसिंह विवादग्रस्त मुरब्बा नम्बर 43 पुराना 47 के कब्जा कि. न. 2 ता 9 वाके चक 4 ए बड़ा तहसील श्रीगंगानगर कृषि भूमि को जरिये बैयनामा खरीद किये जाने के फलस्वरूप खातेदारी घोषित कराने के हकदार है। –वादी
2. आया कि वादी विवादग्रस्त रकबे में खरीद के बाद कभी भी काबिज नहीं रहने के कारण खातेदार घोषित करने का मुस्तहक नहीं है। – प्रतिवादी

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. आया प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो रिकार्डेड खातेदार है के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है तथा इनका इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है तथा ये इस रकबे से बेदखल किये जाने के योग्य है।

—प्रतिवादी

जिसमें बाद में संशोधन कर 2 अतिरिक्त तनकियात कायम की गईः—

ग. क्या गुरबचनसिंह के जीवनकाल में अथवा उसके स्वर्गवास के बाद वादी अथवा उसके पिता के द्वारा इन्तकाल की बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई और गुरबचनसिंह के जीवनकाल में एवं उसकी मृत्यु के बाद आज तक गुरबचनसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बिना किसी अवरोध के शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है और गुरबचनसिंह का कब्जा मुखालफत हो चुका था ।

घ. क्या वाद समयाविध में प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

अधी.न्यायालय द्वारा तनकी सं0 1 वादीगण के विरूद्ध दस्तावेजी साक्ष्य पक्षकारान के मध्य विभाजन का नामान्तरणकरण का प्रदर्श Ex 3 का आधार मानकर विनिश्चय की है, विनिश्चय में भारी भूल की है, अधी.न्यायालय की पत्रावली पर बेचाननामे का दस्तावेज परीक्षित होकर प्रदर्श Ex 1A उपलब्ध जो तनकी सं0 1 के विवेचन का आधार होना चाहिए जिसे अधी.न्यायालय द्वारा पढ़ा ही नहीं जो तनकी वादी के पक्ष में विनिश्चय के लिए दस्तावेजी साक्ष्य है के साथ—साथ मौखिक दस्तावेज विवादित आराजी का खरीदकर्ता के बयान PW 1 की मुख्य परीक्षा एवं जिरह यह प्रमाणित करती है कि विवादित आराजी अपीलांट के पूर्वज महेन्द्रसिंह ने कय की है, इन साक्ष्यों के आधार पर यह तनकी वादीगण के पक्ष में विनिश्चय योग्य है जो अधी.न्यायालय ने न करके भूल की है। अतः तनकी सं0 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं02 के विवेचन में अधी.न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्यों को ही आधार माना जाकर तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित की है जबकि अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तरण संख्या 17 जो

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिनांक 9.10.68 को पंचायत की कोरम में पेश हुआ जो रेस्पो. के पक्ष में खोला गया था बेचाननामे के कारण खारिज हुआ है। वही नामान्तरण सं0 18 जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex 4 के रूप में परीक्षित हुआ है के कालम संख्या 16 में स्पष्ट अंकन है कि विवादित आराजी का कब्जा अपीलांट महेन्द्रसिंह को दे दिया है। अतः अधी. न्यायालय द्वारा इस तनकी का विनिश्चय भी गलत किया है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनिश्चित की जाती है।

तनकी संख्या 3 के विवेचन का आधार अधी. न्यायालय द्वारा तनकी सं0 1 व 2 का विनिश्चय माना है जो परीक्षण में अधी.न्यायालय के विनिश्चय के विपरीत निर्णित की गई है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या ग — अधी.न्यायालय द्वारा तनकी प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विनिश्चय होना जाहिर किया है जबकि कौन से साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य परीक्षित हुये है उनमें से कौन से साक्ष्य पर प्रदर्श डालकर तनकी को साबित करने में सहयोगी है स्पष्ट नहीं होने से तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित होना नहीं मानी जा सकती।

तनकी संख्या घ—— तनकी विधिक होकर मियाद के बिन्दु पर विनिश्चित होने योग्य थी जो अधी.न्यायालय द्वारा निर्णय न कर मात्र दावे में वर्णित प्रतिवादी के कथन का वर्णन कर छोड़ दिया। तनकी किस रूप में विनिश्चित है का निष्कर्ष नहीं निकाला है। अतः तनकी अनिर्णित होने की स्थिति में वादीगण के विरूद्ध नहीं मानी जानी योग्य है।

अतः अधी. न्यायालय द्वारा सभी तनकीयात का गलत निर्णय करने से इस न्यायालय द्वारा उनका सही विनिश्चय कर अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2013 निरस्त किया जाता है एवं यह specific आदेश दिया जाता है कि अपीलांट का पिता महेन्द्रसिंह हरनामसिंह के गोद चले जाने से महेन्द्रसिंह के प्राकृतिक पिता लालसिंह की 19 बीघा कृषि भूमि में विरासतन उसका कोई हक हिस्सा नहीं बनता है परन्तु लालसिंह द्वारा

31/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपरोक्त 19 बीघा भूमि में से 8 बीघा भूमि महेन्द्रसिंह को दिनांक 25.11.59 को विक्रय करने से इस 8 बीघा भूमि का महेन्द्रसिंह के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालसिंह की शेष 11 बीघा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार devolve योग्य है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

बलराजसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मलकीयतसिंह पिसर मुतबन्ना गुरबचनसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
3. सुरजीतकौर पत्नी महेन्द्रसिंह
4. गुरजन्टसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह
5. गुरमेलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह

   } जाति रामगढियासिख निवासीगण कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. दर्शनकौर पत्नी साधूसिंह पुत्री महेन्द्रसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी ई–2 कुन्ज विहार श्रीगंगानगर ।
7. गुरमेलकौर उर्फ रणजीतकौर उर्फ रानी पत्नी मेजरसिंह पुत्री महेन्द्रसिंह जाति रामगढिया सिख निवासी वार्ड नम्बर 30 रूपनगर हनुमानगढ टाउन जिला हनमानगढ़ ।

———रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 81/2013 व नाराजगी डिक्री अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम श्रीगंगानगर मुर्क्ख 22 माह 07 सन् 2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 31 माह 10 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री कुलवंतसिंह संधू अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री मदनलाल सिडाना अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 , श्री दयाराम छिम्पा अभिभाषक रेस्पों. सं. 3 से 7 व श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2013 निरस्त किया जाता है एवं यह specific आदेश दिया जाता है कि अपीलांट का पिता महेन्द्रसिंह हरनामसिंह के गोद चले जाने से महेन्द्रसिंह के प्राकृतिक पिता लालसिंह की 19 बीघा कृषि भूमि में विरासतन उसका कोई हक हिस्सा नहीं बनता है परन्तु लालसिंह द्वारा उपरोक्त 19 बीघा भूमि में से 8 बीघा भूमि महेन्द्रसिंह को दिनांक 25.11.59 को विक्रय करने से इस 8 बीघा भूमि का महेन्द्रसिंह के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालसिंह की शेष 11 बीघा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार devolve योग्य है।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 31.10.2017 जारी किया गया।

31/10/17

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)